प्रारंभिक परीक्षा

नासा का पंच मिशन और सौर चक्र

संदर्भ

नासा का सौर मिशन 6 मार्च, 2025 को कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से प्रक्षेपित किया जाना है।

नासा के पंच मिशन(PUNCH Mission) के बारे में -

- **पोलारिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर(PUNCH) नासा का एक सौर मिशन है जिसका उद्देश्य सूर्य के बाहरी वातावरण (कोरोना) और सौर पवन के साथ इसकी अंतःक्रिया का अध्ययन करना है।**
- **पंच मिशन के उद्देश्य:**
    - **सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना:** सूर्य के बाहरी वातावरण की संरचना और गतिशीलता का अवलोकन करना।
    - **सौर पवन को समझना:** पृथ्वी की ओर बढ़ते सौर पवन के विस्तार और त्वरण पर नज़र रखना।
    - **कोरोनल मास इजेक्शन(CME) का विश्लेषण करना:** सौर तूफानों की वास्तविक समय इमेजिंग प्रदान करना जो पृथ्वी के उपग्रहों और बिजली ग्रिडों को प्रभावित कर सकते हैं।
    - **अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान में सुधार** करना
- **उपग्रह कांस्टेलेशन:**
    - **PUNCH** में चार छोटे समान उपग्रह हैं, प्रत्येक सूटकेस के आकार का है।
    - ये उपग्रह सौर कोरोना और सौर पवन की लगातार छवि बनाने के लिए एक साथ काम करेंगे।
    - उपग्रहों को पृथ्वी के चारों ओर सूर्य-समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
- **उन्नत इमेजिंग प्रौद्योगिकी:**
    - **वाइड-फील्ड इमेजर्स**: सूर्य के कोरोना को कैप्चर करते है और अंतरिक्ष में घूमते समय सौर पवन को ट्रैक करते है।
    - **ध्रुवीकरण माप: सौर पवन की चुंबकीय संरचना को** समझने में सहायता करना।

सौर चक्र क्या है?

- **सौर चक्र सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और गतिविधि का 11 साल का चक्र है।**
- इस चक्र के दौरान सूर्य की सतह पर धब्बों की संख्या न्यूनतम से अधिकतम और पुनः परिवर्तित होती है।
- **सौर चक्र कैसे काम करता है?**
    - सूर्य में **उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों** वाला **एक चुंबकीय क्षेत्र है, जो एक छड़ चुंबक के** समान है।
    - यह क्षेत्र **सूर्य के भीतर विद्युत आवेशित कणों की गति से उत्पन्न होता है**।
    - लगभग **हर 11 वर्ष में** सूर्य **के चुंबकीय ध्रुव अपना स्थान बदल लेते हैं, जिससे एक नये सौर चक्र** की शुरुआत होती है।
- **सौर चक्र पर नज़र रखने में सूर्य धब्बों(Sunspots) की भूमिका:**
    - सूर्य के धब्बे सूर्य की सतह पर अंधेरे, ठंडे क्षेत्र हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से मजबूत होता है।
    - वैज्ञानिक सूर्य के धब्बों की संख्या गिनकर सौर चक्र पर नज़र रखते हैं:
        - अधिक सौर धब्बे = सौर अधिकतम
        - कम सौर धब्बे = सौर न्यूनतम

सौर चक्र के चरण -

- **सौर अधिकतम:**
  - यह तब घटित होता है जब **सूर्य सबसे अधिक सक्रिय होता है**।
  - इस चरण के दौरान **चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है।**
  - सूर्य अंतरिक्ष में **विकिरण और कणों का तीव्र विस्फोट छोड़ता है।**
  - **सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन (CME) में वृद्धि** होती है।
- **सौर न्यूनतम:**
  - सूर्य का सबसे **कम सक्रिय चरण।**
  - **सूर्य के धब्बे, ज्वालाएँ और विस्फोट काफी हद तक कम हो जाते हैं।**

अब अधिक सौर मिशन क्यों शुरू किए जा रहे हैं?

- वर्तमान सौर अवलोकनों से पता चलता है कि सूर्य अपने सौर अधिकतम के करीब है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा है।
- **NOAA** (नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन) की रिपोर्ट है कि मई 2022 से सौर गतिविधि सामान्य से ऊपर रही है और 2024 में भी ऊंची बनी रहेगी।
- अगली तीव्र सौर गतिविधि 2035-2036 तक नहीं होगी, जिससे यह सौर मिशन लॉन्च करने के लिए सबसे अच्छी विंडो बन जाएगी।

स्रोत: **Indian Express - Solar Maximum**

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

संदर्भ

2025-26 में पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए बजट आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 37% बढ़ गया है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के बारे में -

- **यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।**
- यह एक **केन्द्रीय क्षेत्र की योजना** है।
- **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय।
- **पेंशन फंड प्रबंधक:** भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)
- **कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति:**
    - **कवरेज:** 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
    - **नामांकन:** ~46,12,330 (मार्च 2025)
        - **शीर्ष 3 राज्य:** हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र।

PM-SYM की मुख्य विशेषताएं -

- **पेंशन लाभ:**
    - 60 वर्ष के बाद न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन ₹3,000 प्रति माह।
    - **पारिवारिक पेंशन**: ग्राहक की मृत्यु के मामले में जीवनसाथी को 50% पेंशन मिलती है।
    - पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी पर लागू होती है।
- **स्वैच्छिक एवं लचीला योगदान:**
    - श्रमिक सरकार द्वारा समतुल्य एक निश्चित मासिक राशि का योगदान करते हैं।
    - मासिक योगदान नामांकन आयु के आधार पर भिन्न होता है।
- **पात्रता मानदंड: PM-SYM** में नामांकन के लिए, व्यक्तियों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
    - **आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष**
    - **आय सीमा:** मासिक आय **≤ ₹15,000**
    - **असंगठित क्षेत्र में रोजगार:** इसमें स्ट्रीट वेंडर, दैनिक मजदूर, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, घरेलू कामगार, मछुआरे, कारीगर, चमड़ा श्रमिक आदि शामिल हैं।
- **बहिष्करण मानदंड: वह व्यक्ति**
    - ईपीएफ, ईएसआईसी या एनपीएस के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।
    - आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
    - अन्य सरकारी पेंशन लाभ प्राप्त नहीं करना चाहिए।

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न: प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (2024)

1. योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है।
2. लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट योगदान किया जाएगा।
3. योजना के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह न्यूनतम ₹3,000 पेंशन मिलेगी।
4. पारिवारिक पेंशन पति/पत्नी और अविवाहित बेटियों पर लागू होती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1, 3 और 4
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2
(d) 1, 2 और 4

उत्तर: (**b**)

स्रोत: **PIB - PMSYM**

वन पहचान एवं संरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में वनों की पहचान का कार्य अक्षरशः पूरा करें।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की मुख्य बातें -

- सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक एक महीने के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में वनों की पहचान करने के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन करने में विफल रहते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, अदालत ने अगले छह महीनों के भीतर इन जमीनों के समेकित रिकॉर्ड तैयार करने का आदेश दिया है।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम नियम, 2023 का अनुपालन न करना -

- केंद्र के कानूनी प्रतिनिधि ने बताया कि अधिकांश राज्यों ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम नियम, 2023 के नियम-16(1) के तहत आवश्यक वन भूमि अभिलेखों का समेकन पूरा नहीं किया है।
- नियम-16 में कहा गया है कि विशेषज्ञ समितियों द्वारा पहचाने गए "वन जैसे क्षेत्रों" और अवर्गीकृत और सामुदायिक वन भूमि को कानून के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन -

- **वनों की कटाई को रोकने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू किया गया था।**
- **2023 के संशोधनों से क्या बदलाव आया?**
    - **धारा-1A प्रस्तुत की गई, जिसने 'वन' की परिभाषा को सीमित कर दिया:**
        - घोषित वन
        - 1980 के बाद सरकारी अभिलेखों में वनों के रूप में दर्ज भूमि
- **याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताएं:**
    - **याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि धारा-1A ने वन संरक्षण को कमजोर कर दिया है:** लगभग 1.97 लाख वर्ग किलोमीटर अघोषित वन भूमि को बाहर कर दिया गया है।

'वन' की परिभाषा पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख -

- **सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद मामले (1996) के अनुसार, 'वन' शब्द का व्यापक अर्थ जारी रहेगा।**
- इसका अर्थ यह है कि वन भूमि केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वनों तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि इसमें निम्नलिखित भी शामिल होंगे:
    - वन जैसे क्षेत्र
    - अवर्गीकृत वन
    - सामुदायिक वन भूमि
- न्यायालय ने आदेश दिया कि यह व्यापक परिभाषा तब तक वैध रहेगी जब तक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वन भूमि का समेकित रिकॉर्ड तैयार नहीं कर लेते।

स्रोत: [The Hindu - SC directives]

समाचार में स्थान

तांगानिका झील -

- **हाल ही में, तांगानिका बेसिन की सीमा से लगे देशों ने इस झील बेसिन की जैव विविधता के लिए सीमा पार खतरों का आकलन और समाधान करने के लिए पांच साल की परियोजना शुरू की है।**
- यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के नेतृत्व वाली पहल है और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा वित्त पोषित है।
- **इसका उद्देश्य तांगानिका झील की सीमा से लगे चार देशों के बीच सीमा पार सहयोग को बढ़ाना है।**

- **अवस्थिति:** मध्य अफ्रीका
- **सीमावर्ती देश:** बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC), तंजानिया और जाम्बिया।
- **यह आयतन की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तथा बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है।**
- **इसके अलावा यह दुनिया की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है।**
- **मुख्य प्रवाह:** रुज़िज़ी नदी (किवु झील से), मालागारसी नदी (तंजानिया से), कावु और लुफुबु नदियाँ (जाम्बिया से)।

स्रोत: [UN - Lake Tanganyika]

समाचार संक्षेप में

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति (DBHPS)

- **DBHPS दक्षिण भारत में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संस्था है। (मुख्यालय - चेन्नई)**
- **औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, लेकिन 17 जून 1918 को इसका स्थापना दिवस माना जाता है, जब मद्रास (अब चेन्नई) में पहली हिंदी कक्षाएं शुरू हुईं।**
- **गांधी जी** इसके **संस्थापक अध्यक्ष थे** और अपनी अंतिम सांस तक इस पद पर बने रहे।
- **शामिल राज्य:** तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
    - इसके पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी संबद्ध केंद्र हैं।
- **राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता (1964):**
    - **संसद ने 1964 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा अधिनियम पारित कर इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा दिया।**
    - इसने DBHPS को भारत सरकार की मंजूरी के बिना भंग या विलय होने से रोक दिया।

स्रोत: [The Hindu - Hindi Prachar Samiti]

मार्बल्ड कैट(Marbled Cat)

- **असम के तिनसुकिया जिले के देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान** में **मार्बल्ड कैट** देखी गई।

मार्बल्ड कैट के बारे में -

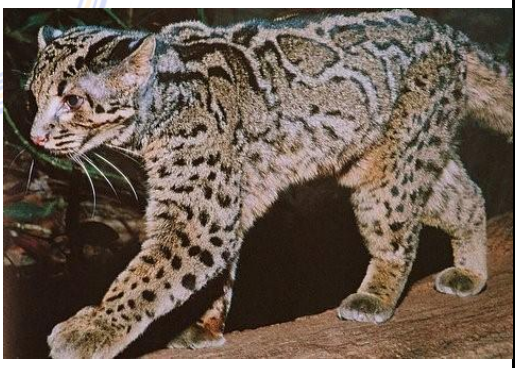

- **यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के जंगलों में पाई जाने वाली एक छोटी, दुर्लभ जंगली बिल्ली प्रजाति है।**
- **विशेषताएँ:**
    - **इसका फर घना, मुलायम होता है, जिस पर गहरे रंग के धब्बे और धारियों का मार्बल जैसा पैटर्न होता है।**
    - वे उत्कृष्ट पर्वतारोही होती हैं
    - इसकी लंबी पूंछ होती है, जो अक्सर इसके शरीर की लंबाई के बराबर या उससे अधिक लंबी होती है, जो पेड़ों पर संतुलन बनाने में सहायता करती है।
    - **यह प्रजाति प्रादेशिक है तथा मूत्र और गंध से अपने क्षेत्र को चिह्नित करती है।**
    - **सामाजिक व्यवहार:** एकाकी एवं छिपने वाला, जंगल में बहुत कम देखा जाता है।
- **वितरण:** दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की मूल प्रजाति
    - अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड सहित पूर्वोत्तर राज्यों के जंगलों में पाई जाती है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
    - **IUCN:** निकट संकटग्रस्त
    - **CITES:** परिशिष्ट-I
    - **WPA:** अनुसूची-I

स्रोत: [TOI - Marbled Cat]

फेरिहाइड्राइट: लौह-समृद्ध खनिज जो मंगल के लाल रंग से जुड़ा है

- एक नए अध्ययन से पता चला है कि **मंगल ग्रह का लाल रंग ग्रह की धूल में मौजूद फेरिहाइड्राइट (पहले माना जाने वाला हेमेटाइट) के कारण है।**

फेरिहाइड्राइट के बारे में -

- **फेरिहाइड्राइट ($Fe_5HO_8·4H_2O$) एक खराब क्रिस्टलीय आयरन ऑक्साइड-हाइड्रॉक्साइड खनिज है।**
- यह एक नैनोकण के आकार का, जंग जैसा यौगिक है जो आमतौर पर पृथ्वी पर ठंडे, पानी वाले वातावरण में बनता है।
- **यह अधिक स्थिर आयरन ऑक्साइड का अग्रदूत है, जैसे: हेमेटाइट, गोइथाइट।**
- इसका उपयोग भारी तत्व संदूषकों के पृथक्करण में किया जाता है।

फेरिहाइड्राइट और मंगल का लाल रंग -

- वैज्ञानिकों को संदेह है कि मंगल की लौह-समृद्ध सतह में फेरिहाइड्राइट या इसके रूपांतरित उत्पाद हो सकते हैं।
- शुष्क ऑक्सीकरण (जो पानी के बिना जंग पैदा करता है) के विपरीत, फेरिहाइड्राइट ठंडी, गीली स्थितियों में बनता है, जिससे पता चलता है कि अतीत में मंगल पर स्थिर तरल पानी था।
- समय के साथ, फेरिहाइड्राइट निर्जलित हो सकता है और हेमेटाइट में बदल सकता है, एक अन्य लौह ऑक्साइड जो मंगल को लाल रंग देता है।
- यह इस परिकल्पना का समर्थन करता है कि मंगल ग्रह पर लंबे समय तक चलने वाली जल गतिविधि थी, न कि केवल गीली स्थितियों के अल्पकालिक विस्फोट।

स्रोत: Deccan Herald - Ferrihydrite

शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य

- हाल ही में शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य(WLS) में कूदने वाली मकड़ियों की दो नई प्रजातियां खोजी गई हैं।

शेंदुर्नी WLS के बारे में -

- **अवस्थिति:** पश्चिमी घाट, केरल (कोल्लम जिला)।
- यह अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है**,** और तमिलनाडु के कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व और नेल्लई वन्यजीव अभयारण्य के साथ सीमा साझा करता है।
- **बहने वाली नदियाँ:** कल्लदा नदी, शेंदुर्नी नदी
- **वनस्पति:**
  - **इसमें घने सदाबहार और अर्ध-सदाबहार वन हैं**।
  - **महत्वपूर्ण पादप प्रजातियाँ**: मिशमी टीक, कुलेनिया एक्सारिलटा, मिरिस्टिका स्वैम्प्स (दुर्लभ आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र)।
- **जीव-जंतु:**
  - हाथी, गौर, सांभर, जंगली भालू, मालाबार विशाल गिलहरी, नीलगिरि लंगूर, शेर-पूंछ वाला मकाक।
- **थेनमाला इको-टूरिज्म परियोजना**: भारत का **पहला नियोजित इको-टूरिज्म गंतव्य**। यह **शेंदुर्नी डब्ल्यूएलएस के अंदर स्थित है।**

स्रोत: The Hindu - Shendurny WLS

गम अरबी(Gum Arabic)

- **सूडान की राष्ट्रीय सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच चल रहे गृह युद्ध ने गम अरबी की कानूनी आपूर्ति श्रृंखला को काफी हद तक बाधित कर दिया है।**

गम अरबी के बारे में -

- **यह एक प्राकृतिक गोंद है जो बबूल के पेड़ की दो प्रजातियों - सेनेगलिया सेनेगल और वेचेलिया सेयाल के कठोर रस से प्राप्त होता है ।**
- **उत्पादन:** मुख्यतः **सूडान (80%)** और सम्पूर्ण **साहेल (सेनेगल से सोमालिया तक) में।**
- यह पानी में **घुलनशील है** और खाने योग्य है।
- **उपयोग:** खाद्य उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन, और फार्मास्यूटिकल्स में पायसीकारी और स्टेबलाइजर्स के रूप में।

सूडान के गृह युद्ध का व्यापार पर प्रभाव -

- **RSF द्वारा प्रमुख क्षेत्रों पर कब्ज़ा:**
  - RSF ने 2023 के अंत में मुख्य गोंद-कटाई क्षेत्रों कोर्डोफन और दारफुर पर नियंत्रण कर लिया।
  - सूडानी व्यापारियों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए RSF को शुल्क का भुगतान करना होगा।
- **अनौपचारिक व्यापार मार्गों का उदय:**
  - गोंद अरबी की तस्करी मिस्र, चाड, कैमरून, दक्षिण सूडान और केन्या जैसे पड़ोसी देशों में की जा रही है।
  - व्यापारी उचित प्रमाणीकरण के बिना कम कीमत पर गोंद बेच रहे हैं।

स्रोत: [Indian Express - Gum Arabic]

वालेस लाइन(Wallace Line)

- **वालेस लाइन एक अदृश्य जैवभौगोलिक सीमा है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के अद्वितीय जीव-जंतुओं को अलग करती है।**
- इसे पहली बार **एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी अल्फ्रेड रसेल वालेस** ने 19वीं सदी के अंत में **मलय द्वीपसमूह से गुजरते समय प्रजातियों की संरचना में एक नाटकीय बदलाव को देखने के बाद प्रस्तावित किया था।**

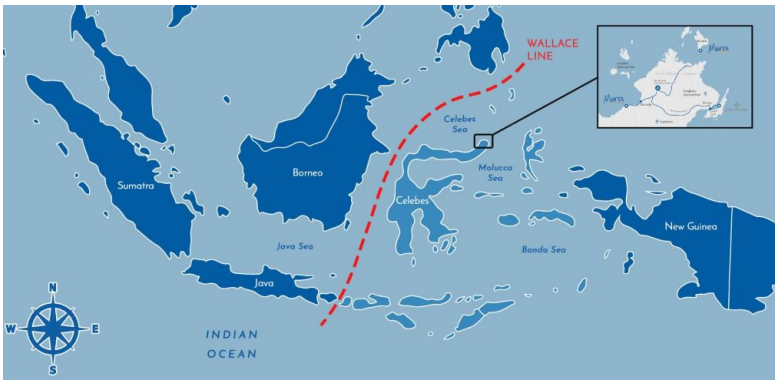

आज वालेस लाइन का महत्व

- **पारिस्थितिकी और संरक्षण महत्व:**
  - इंडो-मलायन द्वीपसमूह में निवास स्थान विनाश की दर विश्व में सबसे अधिक है।
  - जैवभूगोल को समझने से निम्नलिखित में मदद मिल सकती है:

- पूर्वानुमान करना कि प्रजातियाँ आवास के नुकसान पर कैसी प्रतिक्रिया देंगी।
- जैव विविधता की रक्षा के लिए बेहतर संरक्षण रणनीति विकसित करना।

स्रोत: **The Hindu - Wallace Line**

संपादकीय सारांश

अमेरिका और रूस के बीच विकसित होते संबंध

संदर्भ

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पुनः कार्यभार संभालने के साथ ही रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों में अचानक सुधार आया है।

ऐतिहासिक अमेरिकी-रूस संबंध और उनका विकास -

शीत युद्ध काल (1947-1991) -

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अमेरिका और सोवियत संघ (USSR) भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बन गए, जिसके कारण शीत युद्ध हुआ।
- प्रतिद्वंद्विता को वैचारिक विरोध (पूंजीवाद बनाम साम्यवाद), परमाणु हथियारों की दौड़, छद्म युद्ध (कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान), और राजनीतिक गतिरोध (क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन नाकाबंदी) द्वारा चिह्नित किया गया था।
- 1970 के दशक में **SALT-I** और **II** जैसे हथियार नियंत्रण समझौतों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साथ तनाव देखा गया।
- हालाँकि, 1980 के दशक में नए सिरे से तनाव देखा गया, विशेषकर अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण (1979) और रीगन की रणनीतिक रक्षा पहल (SDI) के साथ।
- 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध समाप्त हो गया, जिससे अमेरिका-रूस संबंधों में सुधार हुआ।

शीत युद्ध के बाद (1991-2014) -

- 1990 के दशक में, अमेरिका-रूस संबंधों में सहयोग के साथ-साथ तनाव भी था।
- रूस पश्चिमी सहायता से पूंजीवाद में परिवर्तित हुआ, लेकिन आर्थिक संकट और नाटो के पूर्व की ओर विस्तार (1999 में पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य सहित) ने नाराजगी पैदा की।
- 2000 के दशक में संबंधों में उतार-चढ़ाव देखा गया, 9/11 के बाद आतंकवाद निरोध पर सहयोग, लेकिन नाटो के विस्तार, एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल (एबीएम) संधि से अमेरिका की वापसी और 2008 के रूस-जॉर्जिया युद्ध पर तनाव था।
- 2014 में क्रीमिया पर कब्ज़ा होने से रिश्ते ख़राब हो गए, जिससे रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध और गहरा अविश्वास पैदा हो गया।

2014 से वर्तमान: गिरावट और संभावित रीसेट -

- **ओबामा शासन काल(2014-2016)**: क्रीमिया के बाद रूस पर प्रतिबंध, पूर्वी यूरोप में नाटो की उपस्थिति में वृद्धि, तथा मास्को का कूटनीतिक अलगाव।
- **ट्रम्प शासन काल(2017-2020)**: रूस के साथ मेल-मिलाप का प्रयास किया गया, लेकिन अमेरिकी चुनावों में रूसी हस्तक्षेप के आरोपों के कारण इसमें बाधा उत्पन्न हुई।
- **बाईडेन वर्ष(2021-2024):** 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण और गिरावट, जिसके कारण बड़े पैमाने पर अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रतिबंध, यूक्रेन को सैन्य सहायता और नाटो विस्तार (फिनलैंड और स्वीडन) होगा।
- **ट्रम्प की वापसी(2025)**: अमेरिका-रूस संबंधों में संभावित नरमी, जिसमें कूटनीतिक जुड़ाव, प्रतिबंधों में संभावित ढील, तथा टकराव से रणनीतिक समायोजन की ओर अमेरिकी नीति में बदलाव शामिल है।

उभरते अमेरिकी-रूस संबंधों के निहितार्थ -

- **वैश्विक शक्ति संतुलन:** यदि अमेरिका-रूस संबंधों में सुधार होता है, तो इससे चीन-रूस रणनीतिक साझेदारी कमजोर हो सकती है और अधिक बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण हो सकता है।

  - रूस-अमेरिका के बीच मेल-मिलाप चीन को अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है।
- **यूक्रेन और नाटो पर प्रभाव:** ट्रम्प द्वारा यूक्रेन से संभावित अलगाव, युद्ध की गतिशीलता को रूस के पक्ष में बदल सकता है।
  - यूरोपीय सहयोगियों को यूक्रेन की रक्षा के लिए अधिक जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता हो सकती है।
  - नाटो की आंतरिक एकजुटता की परीक्षा हो सकती है, खासकर यदि ट्रम्प अमेरिकी प्रतिबद्धताओं पर सवाल उठाते हैं।
- ऊर्जा एवं आर्थिक निहितार्थ अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने से रूस की अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हो सकती है, विशेष रूप से तेल, गैस और खनिजों के क्षेत्र में।
  - इसका वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे तेल की कीमतों में अस्थिरता कम हो सकती है।
- **शस्त्र नियंत्रण एवं सुरक्षा:** एक नया शस्त्र नियंत्रण समझौता सामने आ सकता है, जिससे परमाणु जोखिम कम हो जाएगा।
  - रूस पूर्वी यूरोप में नाटो सैन्य निर्माण में कमी लाने पर जोर दे सकता है।
- **भारत की सामरिक स्थिति:** अमेरिका-रूस तनाव कम होने से भारत को लाभ हो सकता है, जिससे वह दोनों शक्तियों के साथ मजबूत संबंध बनाए रख सकेगा।
  - इससे चीन, रूस और अमेरिका के साथ संबंधों में संतुलन बनाने में कूटनीतिक लचीलापन भी प्राप्त हो सकता है।
- **वैश्विक गठबंधनों में बदलाव:** अमेरिका-रूस के बीच संबंधों में आई नरमी से ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सहित मौजूदा गठबंधनों पर असर पड़ सकता है, जहां रूस प्रमुख भूमिका निभाता है।
  - इससे अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा में भी बदलाव आ सकता है, जिससे नई भू-राजनीतिक गतिशीलता पैदा हो सकती है।

स्रोत: **Indian Express: Russia in Trump's World**

आयकर विधेयक, 2025

संदर्भ

फरवरी 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया।

आयकर विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान -

- **'कर वर्ष' अवधारणा का परिचय**: पारंपरिक मूल्यांकन वर्ष को हटा दिया गया है। **अब, कर वर्ष वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल - 31 मार्च) के साथ संरेखित होता है**। व्यवसायों या नए स्थापित व्यवसायों के लिए, कर वर्ष प्रारंभ तिथि से शुरू होता है।
- **आय की विस्तारित परिभाषा**: क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी जैसी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों (VDA) को अब भूमि, शेयर और बुलियन के समान पूंजीगत परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे कर उपचार प्रभावित होता है।
- **स्पष्टता के लिए सरलीकृत प्रारूपण**: विधेयक अत्यधिक प्रावधानों और परस्पर-संदर्भों को कम करता है, जिससे कर कानून अधिक संक्षिप्त हो जाते हैं और विभिन्न धाराओं का संदर्भ लिए बिना उनकी व्याख्या करना आसान हो जाता है।
- **सुव्यवस्थित कर अनुपालन**: टीडीएस, मूल्यांकन समयसीमा, विवाद समाधान और कटौती से संबंधित प्रावधानों को बेहतर पहुंच और समझ के लिए तालिकाओं में संरचित किया गया है।
- **पुरानी छूटों का उन्मूलन**: धारा-54E (1992 से पूर्व परिसंपत्ति हस्तांतरण के लिए पूंजीगत लाभ छूट) जैसे अनावश्यक प्रावधानों और पिछले संशोधनों से अप्रचलित खंडों को हटा दिया गया है।
- **अन्य कर कानूनों का एकीकरण**: कर कानूनों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति कर अधिनियम के प्रावधानों और सेवा अनुबंधों में इन्वेंट्री मूल्यांकन और राजस्व मान्यता के लिए विनियमों को शामिल किया गया है।

इससे जुड़ी चिंताएं क्या हैं?

- **सतही सरलीकरण:** यह विधेयक करदाताओं के लिए कानून को सरल बनाए बिना केवल दिखावटी भाषाई परिवर्तन करता है।
    - परिभाषाएं अभी भी 1961 के अधिनियम का हवाला देती हैं, जिससे पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता पर संदेह उत्पन्न होता है।
    - केवल अनुपालन समयसीमा को तालिकाओं में पुनर्व्यवस्थित करने से अंतर्निहित जटिलता समाप्त नहीं होती।
- **अपरिवर्तित कराधान दर्शन:** कराधान के प्रति मौलिक नीति दृष्टिकोण अपरिवर्तित बना हुआ है , जिसका अर्थ है कि मुख्य चुनौतियाँ - उच्च अनुपालन बोझ और लगातार मुकदमेबाजी - बनी हुई हैं।
    - ठोस सुधार प्रस्तुत करने के बजाय, विधेयक में ज्यादातर मौजूदा प्रावधानों को ही दोहराया गया है।
- **मुकदमेबाजी का अधिक जोखिम:** विधेयक के पाठगत परिवर्तनों**(textual alterations)** से स्थापित कानूनी व्याख्याएं पुनः खुल सकती हैं , जिससे विवादों की एक नई लहर पैदा हो सकती है।
    - "जोखिम प्रबंधन रणनीति" जैसे अस्पष्ट शब्द अपरिभाषित रहते हैं, जिससे कानूनों के मनमाने ढंग से लागू होने की गुंजाइश बनी रहती है।
- **सरकारी शक्तियों का विस्तार:** सबसे अधिक चिंताजनक प्रावधान डिजिटल डोमेन में तलाशी और जब्ती शक्तियों का विस्तार है।
    - अधिकारी अब बिना किसी न्यायिक निगरानी के ईमेल, सोशल मीडिया खातों और क्लाउड स्टोरेज का निरीक्षण कर सकते हैं।
    - निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के 2017 के फैसले के मद्देनजर यह गंभीर निजता संबंधी चिंताएं उत्पन्न करता है।

आगे की राह

- **डिजिटल निजता सुरक्षा को बढ़ाना**: सरकारी प्राधिकरण के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए डिजिटल खोजों के लिए न्यायिक निगरानी लागू करना।
- **कर विवाद समाधान को मजबूत बनाना**: मामले के समाधान में तेजी लाने और कर मुकदमेबाजी को न्यूनतम करने के लिए मध्यस्थता तंत्र स्थापित करना।
- **प्रमुख कर शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना**: कानूनी अनिश्चितताओं को खत्म करने के लिए "जोखिम प्रबंधन रणनीति" जैसे शब्दों के लिए सटीक परिभाषाएं प्रदान करना।
- **कर अनुपालन को सरल बनाना**: करदाताओं के दायित्वों को आसान बनाने के लिए अत्यधिक दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं को कम करें और कर रिटर्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
- **नए कर वर्ष में निर्बाध परिवर्तन सुनिश्चित करना**: व्यवसायों को संशोधित कर वर्ष ढांचे के साथ आसानी से अनुकूलन करने में सहायता के लिए स्पष्ट कार्यान्वयन दिशानिर्देश विकसित करना।

स्रोत: **The Hindu: Little has changed in the Income-Tax Bill, 2025**

विस्तृत कवरेज

परिसीमन(Delimitation)

संदर्भ

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा परिसीमन का मुद्दा उठाए जाने के बाद इस पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है।

परिसीमन क्या है?

- **परिसीमन, जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने की प्रक्रिया है।**
- इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या तय करना भी शामिल है।
- यह प्रक्रिया परिसीमन आयोग नामक एक स्वतंत्र निकाय द्वारा की जाती है।
- **परिसीमन का महत्व:**
    - **समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना:** निष्पक्ष मतदान शक्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग समान होनी चाहिए।
    - **जनसंख्या वृद्धि के रुझान को प्रतिबिंबित करता है:** समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि या कमी के अनुसार प्रतिनिधित्व को समायोजित करने में मदद करता है।
    - **राजनीतिक असंतुलन को रोकता है:** परिसीमन के बिना, कुछ क्षेत्रों में प्रति मतदाता अधिक सांसद हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अन्यत्र प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।

परिसीमन का कानूनी और संवैधानिक आधार -

- **अनुच्छेद 82**: संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के आवंटन को संशोधित करने की आवश्यकता है।
- **अनुच्छेद 170**: राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या को भी पुनः समायोजित किया जाना चाहिए।
- **परिसीमन अधिनियम**: जब भी परिसीमन की आवश्यकता होती है, इसे पारित किया जाता है तथा परिसीमन आयोग की स्थापना की जाती है।
- **अब तक 1952, 1963, 1973 और 2004 में 4 परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं। (यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024)**

संबंधित संवैधानिक संशोधन -

- **42वां संशोधन (1976)**: जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए 2001 की जनगणना तक लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई।
- **84वाँ संशोधन (2002):** प्रतिबंध को 2026 तक बढ़ाया गया।

परिसीमन आयोग: संरचना और शक्तियां -

- **यह एक अस्थायी निकाय है जिसे भारत सरकार द्वारा तब स्थापित किया जाता है जब परिसीमन की आवश्यकता होती है।**
- **संघटन:**
    - एक सेवानिवृत्त/कार्यरत सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (अध्यक्ष)
    - मुख्य चुनाव आयुक्त
    - संबंधित राज्यों के राज्य चुनाव आयुक्त
- **शक्तियां और कार्य:**
    - नवीनतम जनगणना आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से निर्धारित करता है।

- राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों के बीच सीटों का उचित आवंटन करता है।
- सीमाओं को अंतिम रूप देने से पहले राजनीतिक दलों और हितधारकों से परामर्श करता है।
- निर्णयों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती (अनुच्छेद 329)।

- **परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा और संबंधित विधानसभाओं के समक्ष रखे जाते हैं, लेकिन वे आदेशों में किसी भी संशोधन को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। (यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2012)**

परिसीमन से संबंधित मुद्दे -

- **असमान जनसंख्या वृद्धि**: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों में दक्षिणी और छोटे उत्तरी राज्यों की तुलना में अधिक जनसंख्या वृद्धि देखी गई है, जिसके कारण सीट आवंटन में संभावित असमानताएं पैदा हुई हैं।

Proportional representation

The number of seats in the Lok Sabha, based on the 1971 Census, was fixed at 543, when the population was 54.8 crore. However, since then, it has been frozen in order to encourage population control measures

Exhibit 1: If seats are retained at 543 and reapportioned among States based on 2026* population

State	Number of seats at present	Number of seats projected	Net Gain/ (Loss)
Uttar Pradesh	80	91	11
Bihar	40	50	10
Rajasthan	25	31	6
Madhya Pradesh	29	33	4
Tamil Nadu	39	31	-8
Andhra Pradesh + Telangana	42	34	-8
Kerala	20	12	-8
Karnataka	28	26	-2
Punjab	13	12	-1
Himachal Pradesh	4	3	-1
Uttarakhand	5	4	-1
Northeast-ern States (excluding Assam)	11	11	-

Exhibit 2 : If the number of seats is increased to 848 based on the 2026* population

State	Number of seats at present	Number of seats projected	Net Gain
Uttar Pradesh	80	143	63
Bihar	40	79	39
Rajasthan	25	50	25
Madhya Pradesh	29	52	23
Tamil Nadu	39	49	10
Andhra Pradesh + Telangana	42	54	12
Kerala	20	20	-
Karnataka	28	41	13
Punjab	13	18	5
Himachal Pradesh	4	4	-
Uttarakhand	5	7	2
Northeast-ern States (excluding Assam)	11	11	-

*projected figures

- **अनुपातहीन प्रतिनिधित्व**: यदि अनुमानित जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण किया जाता है, तो दक्षिणी राज्य और छोटे उत्तरी राज्य संसद में अपना सापेक्ष हिस्सा खो सकते हैं, जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा।
- **संघवाद के लिए खतरा**: कुछ राज्यों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व में कमी संघीय ढांचे को कमजोर कर सकती है और क्षेत्रीय असंतुलन पैदा कर सकती है।
- **सीट वितरण फार्मूले में अनिश्चितता**: इस बात पर स्पष्टता का अभाव कि सीट आवंटन मौजूदा हिस्सेदारी या अनुमानित जनसंख्या के आधार पर होगा, प्रतिनिधित्व में निष्पक्षता के बारे में चिंताएं पैदा करता है।
- **राजनीतिक असंतोष**: जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है, वे अपने प्रयासों के लिए दंडित महसूस कर सकते हैं, जिससे असंतोष और राजनीतिक घर्षण पैदा हो सकता है।

संतुलित परिसीमन के लिए समाधान -

- **लोकसभा सीटों की संख्या 543 तक सीमित रखना**: सांसदों की संख्या को स्थिर रखना, जैसा कि अमेरिका में किया गया है, राज्यवार प्रतिनिधित्व में यथास्थिति बनाए रखेगा और संघीय सिद्धांत को कायम रखेगा।
- **राज्य विधानसभा सीटों में वृद्धि**: लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, राज्य विधानसभाओं में विधायकों की संख्या जनसंख्या वृद्धि के आधार पर बढ़ाई जा सकती है।
- **भारित प्रतिनिधित्व मॉडल**: क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों के लिए उचित भार सुनिश्चित करने वाले फार्मूले पर विचार किया जा सकता है।
- **जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करना**: जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया है, उन्हें सीट आवंटन में नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए; उन्हें पुरस्कृत करने की व्यवस्था तलाशी जानी चाहिए।
- **आम सहमति आधारित निर्णय**: संतुलित और व्यापक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के राजनीतिक नेताओं को शामिल करने से क्षेत्रीय तनाव को रोकने में मदद मिल सकती है।
- **संसदीय बहस और समीक्षा**: नए सीट वितरण को अंतिम रूप देने से पहले संसद में संख्यात्मक प्रतिनिधित्व और संघीय समानता दोनों पर गहन चर्चा आवश्यक है।

स्रोत:

- **The Hindu: What are the issues around delimitation?**
- **Indian Express - Delimitation**